न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019

नक्षत्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

बनाम

1. नरिन्दर कौर (नाम कल्मजन)
2. नवजीत कौर (नाम कल्मजन)
3. हरकीरत सिंह पुत्र हरिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन बठिण्डा तहसीलज व जिला बठिण्डा पंजाब
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन बठिण्डा तहसीलज व जिला बठिण्डा पंजाब ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थी
2. श्री मदन लाल पारीक — अप्रार्थी संख्या 3 व 4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25/6/24

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 12 एलजीडब्लयू के खाता सं. 47 के प.नं. 13/286 के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 हैक., प.नं. 12/287 के किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक., प.नं. 11/287 के किला नं. 12 ता 15 की 1.012 हैक, प.नं. 12/288 के किला नं. 5/1/.139, 6/21.177, 18 ता 20, 24 की 1.328 हैक, प.नं. 12/289 के किला नं. 4, 7, 14, 17 की 1.012 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 5.629 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 12 एलजीडब्लयू के खाता सं. 124 के प.नं. 12/288 के किला नं. 15/2, 16, 21/2 की 0.404 हैक., प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10, 11/2, 12 की 1.948 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 2.352 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की भूमि चक 12 एलजीडब्लयू के प.नं. 12/289 के किला नं. 1, 10, 11 के प्रत्येक किला मे 0.025 हैक. रास्ता तथा किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.025 हैक. गै.मु. खाला वर्तमान राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत है तथा प्रार्थीगण के रकबा के बैजानिव पूर्वी दिशा मे प्रार्थी का रकबा है अर्थात उक्त प. नं. 12/2.87के किला नं. 4, 7, 14, 17 की 4 बीघा भूमि है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति एवं रजामन्दी से अप्रार्थीगण की भूमि प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3 खाला के पास से होते हुये अपनी भूमि मे आवगमन करता आ रहा था तथा उक्त रास्ता काफी समय से चलता रहा था लेकिन कुछ समय पूर्व ही अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि के आवगमन मे काफी परेशानी होती है तथा प्रार्थी की भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही लगता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि चक नं. 12 एलजीडब्लयू के प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.013 – 0. 013 हैक. बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो कि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत कर रास्ता का अंकन किया जावे । प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले डीएलसी दर से राशि अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार एवं तत्पर है । अप्रार्थी सं. 4 भूधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक नं. 12 एलजीडब्लयू के प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक मे 0.013 –0. 013 हैक, बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता ... र राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे । श्रीमान जी की अति कृपा ... ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 श्री मदन लाल पारीक ... जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षिप्त में है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। ... पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है दफा में वर्णित 2.352 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 3,4 हरकीरत सिंह व भूपेन्द्र सिंह के नाम बहिरसा बराबर दर्ज है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अंकित ये तथ्य कि प.नं. 12/289 किला नं. 1 ता 3 में खाला के पास–पास रास्ता चालू रहा हो और अप्रार्थीगण ने इसे बंद कर दिया हो कतई गलत एवं मिथ्या रचित होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी नक्षत्रसिंह की प.नं. 12/289 किला नं. 4,7,14,17 की कुल 4 बीघा भूमि के उत्तर दिशा में प.नं. 12/288 के किला नं. 18 ता 20, 24 की भूमि है इसके किला नं. 20 में पक्की सड़क लगती है जो 2 बिस्वा चौड़ी है। प्रार्थी इसी किला नं. 20 में से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अपनी समस्त भूमि में आना–जाना करता है। इन दोनों पत्थरों की भूमि एक–दूसरे से चिपती हुई है। प.नं. 12/288 के सड़क से होकर उत्तर–पूर्व में दोनों तरफ कच्चा रास्ता है जो चालू है जो आगे प.नं. 12/289 के किला नं. 5 में प्रवेश करता है। प.नं. 12/288 के किला नं. 25 व प.नं. 12/289 के किला नं. 5 के मध्य खाले पर पुलिया बनी हुई है। इस रास्ते से भी प्रार्थी अपने खेत में आना–जाना करता है। प्रार्थी की भूमि के पूर्व व पश्चिम, दोनों तरफ रास्ता लगता है इन्ही रास्तों से प्रार्थी वर्षों से अपने खेत में आता–जाता है। प्रार्थी ने व्यक्तिगत रंजिशवंश यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है । प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थीगण की भूमि में पहले से ही 0.100 हैक. रास्ता व 0.075 हैक. खाला स्वीकृत है। यदि अन्य कोई रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि कम हो जाएगी जिससे अप्रार्थीगण को अहम नुकसान होगा। प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3 में खाला दर्ज व चालू है, इस खाला के साथ अप्रार्थीगण की पानी की डिक्की, मकान व ट्यूबैल लगा हुआ है। जिस कारण यहां रास्ता चलना असंभव है। प्रार्थी की भूमि में आने–जाने के लिए दोनों तरफ 2 रास्ते लगते हैं इसलिए नए रास्ते की प्रार्थी को कोई आवश्यकता नहीं है कानूनन यह रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। 5. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी है इसलिए रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण है। इस रिपोर्ट व नक्शा में प्रार्थी की समस्त भूमि का अंकन नहीं किया गया है। रिपोर्ट व नक्शा में वर्णित प.नं. 12/289 के चिपते ही प.नं. 12/288 में प्रार्थी की भूमि है जिसमें पक्की सड़क लगती है। प्रार्थी के दोनों ओर आने–जाने का रास्ता है जिसका रिपोर्ट व नक्शे में अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी को फायदा पंहुचाने की नीयत से रिपोर्ट एक तरफा तौर पर तैयार की गई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक बिन्दुवार रिपोर्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही लगता है लेकिन कि.नं. 01 में उत्तर–दक्षिण रास्ता स्वीकृत है जौ मौके पर चालू है। प्रार्थी की भूमि प.नं. 12/289 कि.नं. 4–7–14–17 है व प्रार्थी प.नं. 12/289 के कि.नं. 1 ता 3 रास्ता चाहता है लेकिन प.नं. 13/288 (17) के कि.नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जो मौके पर चालू है। व प्रार्थी की भूमि से 1 बीघा दूरी पर है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है। बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट श्रीमान् जी कि सेवा में सादर प्रस्तुत है। प्रकरण में मौका निरिक्षण किया गया मौका पर प.नं. 12/289 के किला नं. 1 ता 3 में खाला दर्ज व चालू है, इस खाला के साथ अप्रार्थीगण की पानी की डिक्की, मकान व ट्यूबैल लगा हुआ है। जिस कारण यह रास्ता आगे तक प्रार्थी की भूमि तक चलना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को सुविधा की दृष्टि से इस चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता रास्ता भी लगता है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता [illegible] आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:12 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/6/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा